रसायन और उर्वरक मंत्रालय

मांग संख्या 7

औषध विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2431.65	0.80	2432.45	4088.69	1.26	4089.95	3347.77	40.19	3387.96	5267.16	1.56	5268.72
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	*-64.25*	...	*-64.25*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**2367.40**	**0.80**	**2368.20**	**4088.69**	**1.26**	**4089.95**	**3347.77**	**40.19**	**3387.96**	**5267.16**	**1.56**	**5268.72**
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	18.32	0.56	18.88	20.58	0.80	21.38	20.67	0.86	21.53	22.05	1.10	23.15
2. राष्ट्रीय औषध मूल्य - निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)	16.72	0.24	16.96	19.60	0.40	20.00	19.60	0.27	19.87	20.60	0.40	21.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**35.04**	**0.80**	**35.84**	**40.18**	**1.20**	**41.38**	**40.27**	**1.13**	**41.40**	**42.65**	**1.50**	**44.15**
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
3. राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर)	228.80	...	228.80	242.00	...	242.00	248.00	...	248.00	200.07	...	200.07
4. जन औषधी स्कीम	110.00	...	110.00	284.50	...	284.50	284.50	...	284.50	353.50	...	353.50
5. उपभोक्ता जागरूकता प्रचार और मूल्य निगरानी	2.95	...	2.95	4.00	...	4.00	4.50	...	4.50	6.00	...	6.00
औषध उद्योग विकास												
6. औषध उद्योग का विकास												
6.01 औषध संवर्द्धन एवं विकास योजना (पीपीडीएस)	2.77	...	2.77	5.00	...	5.00	4.00	...	4.00	5.00	...	5.00
6.02 औषध उद्योग के लिए सामान्य सुविधाएं (एपीआई-सीएफ)/क्लस्टर विकास के लिए सहायता	23.84	...	23.84	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
6.03 औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस)	...	...	...	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	100.00	...	100.00
6.04 बल्क ड्रग पार्कों का संवर्धन	2.24	...	2.24	1000.00	...	1000.00	300.00	...	300.00	1460.00	...	1460.00
6.05 मेडिकल डिवाइस पार्कों का संवर्धन	0.90	...	0.90	150.00	...	150.00	...	...	...	...	...	...
6.06 चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में मानव संसाधन विकास	...	...	...	50.00	...	50.00	...	...	...	...	...	...
6.07 चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों को सामान्य सुविधाओं के लिए सहायता	...	...	...	40.00	...	40.00	...	...	...	...	...	...
जोड़- औषध उद्योग का विकास	*29.75*	...	*29.75*	*1300.00*	...	*1300.00*	*359.00*	...	*359.00*	*1615.00*	...	*1615.00*
उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
7. उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन योजना												
7.01 भारत में क्रिटीकल की स्टार्टींग मैटेरियल्स(केएसएमएस)/ड्रग इंटरमिडीएट (डीआई) की घरेलु उत्पादकता और सक्रीय औषध तत्व (एपीआई) के संवर्धन के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	11.66	...	11.66	58.00	...	58.00	22.00	...	22.00	40.00	...	40.00
7.02 मेडिकल डिवाइस की घरेलु उत्पादकता के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन(पीएलआई) योजना	40.30	...	40.30	85.00	...	85.00	82.00	...	82.00	104.93	...	104.93
7.03 औषध के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन(पीएलआई) योजना	1552.46	...	1552.46	2000.00	...	2000.00	2046.50	...	2046.50	2300.00	...	2300.00
जोड़- उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन योजना	*1604.42*	*...*	*1604.42*	*2143.00*	*...*	*2143.00*	*2150.50*	*...*	*2150.50*	*2444.93*	*...*	*2444.93*
8. फार्मा मेड-टैक में अनुसंधान और नवोन्मेष का संवर्धन (पीआरआईपी)	...	...	...	75.00	...	75.00	95.00	...	95.00	245.00	...	245.00
9. चिकित्सा उपकरण उद्योग को सुदृढ़ करना												
9.01 चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देना	...	...	...	...	...	...	100.00	...	100.00	125.00	...	125.00
9.02 चिकित्सा उपकरणों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00	60.00	...	60.00
9.03 चिकित्सा उपकरणों के समूहों के लिए सामान्य सुविधाएं	...	...	...	...	...	...	30.00	...	30.00	60.00	...	60.00
9.04 आयात निर्भरता कम करने के लिए सीमांत निवेश योजना	...	...	...	...	...	...	20.00	...	20.00	60.00	...	60.00
9.05 चिकित्सा उपकरण नैदानिक अध्ययन सहायता योजना	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00	50.00	...	50.00
9.06 चिकित्सा उपकरण संवर्धन योजना	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00
जोड़- चिकित्सा उपकरण उद्योग को सुदृढ़ करना	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*166.00*	*...*	*166.00*	*360.00*	*...*	*360.00*
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	**1975.92**	**...**	**1975.92**	**4048.50**	**...**	**4048.50**	**3307.50**	**...**	**3307.50**	**5224.50**	**...**	**5224.50**
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
10. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता	356.44	...	356.44	0.01	0.06	0.07	...	39.06	39.06	0.01	0.06	0.07
11. औषध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में ऋण बट्टे खाते डालना/माफ करना												
11.01 राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमि. (आरडीपीएल)	64.25	...	64.25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	-64.25	...	-64.25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	**356.44**	**...**	**356.44**	**0.01**	**0.06**	**0.07**	**...**	**39.06**	**39.06**	**0.01**	**0.06**	**0.07**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	**356.44**	**...**	**356.44**	**0.01**	**0.06**	**0.07**	**...**	**39.06**	**39.06**	**0.01**	**0.06**	**0.07**
कुल जोड़	***2367.40***	***0.80***	***2368.20***	***4088.69***	***1.26***	***4089.95***	***3347.77***	***40.19***	***3387.96***	***5267.16***	***1.56***	***5268.72***
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	2349.08	...	2349.08	4015.46	...	4015.46	3273.85	...	3273.85	5189.69	...	5189.69
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	18.32	...	18.32	20.58	...	20.58	20.67	...	20.67	22.05	...	22.05

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3. रसायन और औषध उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.80	0.80	...	1.20	1.20	...	1.13	1.13	...	1.50	1.50
5. रसायन और औषध उद्योगों के लिए ऋण	...	...	...	...	0.06	0.06	...	39.06	39.06	...	0.06	0.06
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**2367.40**	**0.80**	**2368.20**	**4036.04**	**1.26**	**4037.30**	**3294.52**	**40.19**	**3334.71**	**5211.74**	**1.56**	**5213.30**
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	52.65	...	52.65	53.25	...	53.25	55.42	...	55.42
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**52.65**	**...**	**52.65**	**53.25**	**...**	**53.25**	**55.42**	**...**	**55.42**
कुल जोड़	**2367.40**	**0.80**	**2368.20**	**4088.69**	**1.26**	**4089.95**	**3347.77**	**40.19**	**3387.96**	**5267.16**	**1.56**	**5268.72**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. कर्नाटक एंटिबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	...	11.32	11.32	...	12.00	12.00	...	21.50	21.50	...	23.65	23.65
2. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	...	...	...	0.01	...	0.01	39.01	...	39.01	0.01	...	0.01
3. हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
4. बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
5. बंगाल इम्युनिटी लि.	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
6. राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
7. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि.	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़	**...**	**11.32**	**11.32**	**0.06**	**12.00**	**12.06**	**39.06**	**21.50**	**60.56**	**0.06**	**23.65**	**23.71**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान औषध विभाग के वेतन और स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

2. **राष्ट्रीय औषध मूल्य - निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए):** यह प्रावधान एनपीपीए के सचिवालय एवं स्थापना व्यय के लिए रखा गया है।

3. **राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर):** यह प्रावधान 7 एनआईपीईआर अर्थात् मोहाली, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली के कर्मचारियों के वेतन, स्थापना एवं अन्य व्यय के लिए किया गया है।

4. **जन औषधि स्कीम:** यह प्रावधान प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के कारगर क्रियान्वयन के लिए जन औषधि स्कीम के अंतर्गत है।

5. **उपभोक्ता जागरूकता प्रचार और मूल्य निगरानी:** यह प्रावधान उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और राज्य संसाधन यूनिटों को सहायता प्रदान करने के लिए है।

6.01. **औषध संवर्द्धन एवं विकास योजना (पीपीडीएस):** यह प्रावधान संगोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों के संचालन के लिए , निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए भारत आने और भारत से जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों के साथ-साथ निवेश अध्ययन के संचालन/विकास को सुविधाजनक

बनाने के लिए परामर्श निर्यात के साथ-साथ फार्मा सेक्टर को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों, फार्मास्युटिकल क्षेत्र में प्रचार, विकास और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हैं।

6.02. **औषध उद्योग के लिए सामान्य सुविधाएं (एपीआई-सीएफ)/क्लस्टर विकास के लिए सहायता:** इस योजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में एकमुश्त अनुदान सहायता के माध्यम से विभिन्न चरणों में लागू किया जाएगा ताकि इस उद्देश्य के लिए स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के लिए पहचान की गई बुनियादी ढांचे और सामान्य सुविधाओं का निर्माण किया जा सके।

6.03. **औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस):** इस उप-योजना का उद्देश्य पात्र लघु और मध्यम स्तर की फार्मा इकाइयों को जीएमपी अनुरूप विनिर्माण सुविधाओं के लिए बल्क ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मूलेशन दोनों के लिए ब्याज वाली आर्थिक सहायता प्रदान करना है। डब्ल्यूएचओ-जीएमपी मानदंडों को प्राप्त करने के लिए अपने विनिर्माण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की इच्छुक पात्र इकाइयों को अपने बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करना होगा।

6.04. **बल्क ड्रग पार्कों का संवर्धन:** थोक दवाओं की विनिर्माण लागत में उल्लेखनीय कमी लाने और इस तरह घरेलू थोक दवा उद्योग की प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पार्क में स्थित थोक दवा इकाइयों को विश्व स्तरीय सामान्य बुनियादी सुविधाएं (सीआईएफ) तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए देश में बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए।

7.01. **भारत में क्रिटीकल की स्टार्टींग मैटेरियल्स(केएसएमएस)/ड्रग इंटरमिडीएट (डीआई) की घरेलु उत्पादकता और सक्रीय औषध तत्व (एपीआई) के संवर्धन के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:** इस योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और महत्वपूर्ण केएसएम/डीआई/एपीआई में आयात निर्भरता को कम करना है। योजना के तहत पात्र उत्पादों के लिए चयनित आवेदक द्वारा किए गए प्रतिबद्ध निवेश और बिक्री के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।

7.02. **मेडिकल डिवाइस की घरेलु उत्पादकता के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन(पीएलआई) योजना:** यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव करती है।

7.03. **औषध के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन(पीएलआई) योजना:** इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ाकर और औषध क्षेत्र में उच्च मूल्य के सामानों के उत्पाद विविधीकरण में योगदान देकर भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है।

8. **फार्मा मेड-टैक में अनुसंधान और नवोन्मेष का संवर्धन (पीआरआईपी):** इस योजना का उद्देश्य उद्योग को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना और गुणवत्ता पूरण अनुसंधान की संस्कृति को विकसित करना और उद्योग-शिक्षा सह संबंध का संवर्धन करके देश में वैज्ञानिकों के समूह का पोषण करना, जिससे सतत वैश्विक प्रतिस्पर्धा लाभ प्राप्त होगा और देश में गुणवत्ता पूर्ण रोजगार सृजन में योगदान मिलेगा।

9. **चिकित्सा उपकरण उद्योग को सुदृढ़ करना:** दहाई अंकों की वृद्धि दर के साथ चिकित्सा उपकरण भारत में एक उभरता हुआ उद्योग है। पिछले दशक में एक उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और पीएलआई योजना के माध्यम से चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में सरकार के प्रयासों के कारण, भारत में सीटी स्कैन, एमआरआई, सी-आर्म आदि जैसे प्रौद्योगिकी गहन चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन शुरू हो गया है। हालांकि, एक नवजात उद्योग के रूप में, इस क्षेत्र को निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

9.01. **चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देना:** भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग को विश्व में अग्रगामी बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं का निर्माण। बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के लिए विश्व स्तरीय सामान्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से मानक परीक्षण और बुनियादी सुविधाओं तक आसान पहुंच के परिणामस्वरूप चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी जिससे घरेलू बाजार में चिकित्सा उपकरणों की बेहतर उपलब्धता और वहनीयता होगी।

9.02. **चिकित्सा उपकरणों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास:** इस घटक का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान में विद्यमान अंतर को भरना और चिकित्सा प्रौद्योगिकी शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, प्रशिक्षण और उत्कृष्टता का पोषण सुनिश्चित करना है, ताकि चिकित्सा प्रौद्योगिकी के तेजी से नवप्रवर्तनशील बहुविषयक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन का महत्वपूर्ण समूह तैयार किया जा सके और इस क्षेत्र के लिए अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सके।

9.03. **चिकित्सा उपकरणों के समूहों के लिए सामान्य सुविधाएं:** सामान्य बुनियादी ढाँचा सुविधाएँ बनाने, घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने और क्लस्टर की गुणवत्ता में सुधार के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों को वित्तीय सहायता प्रदान करके मौजूदा बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना। इसके अलावा, 1.10.2022 से चिकित्सा उपकरणों के लाइसेंसिंग शासन के लागू होने के कारण चिकित्सा उपकरणों के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चिकित्सा उपकरणों के लिए परीक्षण सुविधाएँ स्थापित करने या उन्हें मज़बूत करने के लिए किसी भी राष्ट्रीय या राज्य स्तर की सरकारी या निजी संस्थाओं को सहायता प्रदान करना, चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के तहत अनिवार्य रूप से निर्माताओं की ओर से चिकित्सा उपकरणों के मूल्यांकन के लिए अधिक परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

9.04. **आयात निर्भरता कम करने के लिए सीमांत निवेश योजना:** चिकित्सा उपकरण उद्योग को चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में विशेष इनपुट/घटकों की आवश्यकता होती है। इनका उत्पादन सामान्य उद्योग द्वारा नहीं किया जा सकता है और अक्सर चिकित्सा उपकरण निर्माताओं द्वारा इनका आयात किया जाता है। उन्हें चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले आवश्यक/मुख्य घटकों या अपस्ट्रीम सामग्रियों या सहायक उपकरणों या निकट से संबंधित उत्पादों के निर्माण के लिए अनुदान के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा सकता है। वर्तमान में 354 चिकित्सा उपकरणों के संबंध में, 200 करोड़ रुपये से कम मूल्य की निविदाओं के लिए वैश्विक निविदा जांच (जीटीई) के लिए व्यय विभाग के निर्देशों से छूट उपलब्ध है, क्योंकि केंद्र सरकार के अस्पतालों की खरीद की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन उपकरणों का घरेलू विनिर्माण नहीं हो पा रहा है। देश के भीतर इन चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए सीमांत निवेश सहायता से इन वस्तुओं के आयात में कमी आएगी।

9.05. **चिकित्सा उपकरण नैदानिक अध्ययन सहायता योजना:** चिकित्सा उपकरण के लिए नैदानिक जांच या पूर्व-नैदानिक पशु अध्ययन या नए आईवीडी के नैदानिक प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इससे बेहतर प्रभावकारिता और सुरक्षा के साथ गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। इससे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करने के लिए घरेलू निर्माताओं की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी, जिससे देश के बाहर के बाजारों में उनके लिए अवसर खुलेंगे।

9.06. **चिकित्सा उपकरण संवर्धन योजना:** इस योजना का उद्देश्य द्योग जगत के नेताओं, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाकर चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देना है,ताकि वे अपने ज्ञान और अनुभव को साझा कर सकें। इन क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए उद्योग निकायों/संघों और शैक्षणिक संस्थानों को बैठकें/सेमिनार/कार्यशालाएँ/कार्यक्रम/रोड-शो/एक्सपो आदि आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसके लिए विभाग द्वारा अनुदान प्रदान किया जाएगा। साथ ही, चिकित्सा उपकरण उद्योग के प्रचार और विकास के लिए निर्माता मूल्यांकन अध्ययन, डेटाबेस का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन मिशन आदि के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। विभाग उद्योग विकास गतिविधियों पर सीधे खर्च भी कर सकता है।

10. **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता:** 6 फार्मास्यूटिकल्स सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए ये प्रावधान ऋण के तहत रखे गए हैं।